न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 54 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी राकेश शर्मा

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज जरिये प्रो. अशोक कुमार शर्मा**
   प्रथम पताः– लक्ष्मी मंदिर, सीकर, राजस्थान 332001
   द्वितीय पताः– डी–3, लक्ष्मी मंदिर, सीकर, राजस्थान 332001
2. **अशोक कुमार शर्मा पुत्र शिव प्रसाद शर्मा**
   पताः– धोद रोड, भाण्डिया बास, वार्ड नम्बर 20, सीकर, राज. 332001
3. **अंकित कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा**
   पताः– भाण्डिया बास, वार्ड नम्बर 19, चांदपोल गेट सीकर, राज.

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 26 मई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विनोद खाण्डल** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज जरिये प्रो. अशोक कुमार शर्मा, अशोक कुमार शर्मा पुत्र शिव प्रसाद शर्मा** एवं **अंकित कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों **अशोक कुमार शर्मा** एवं **अंकित कुमार शर्मा** के स्वामित्व की अचल सम्पत्तिया जो कि निम्न प्रकार हैः–

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

i. **प्रथम बंधक अचल सम्पत्तिः– व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 4 (बिना छत अधिकार), प्रथम तल, हनुमान मार्केट, मोहन मार्केट के ऊपर, वार्ड नम्बर 4 (पुराना) 28 (नया), मौहल्ला शेखपुरा, सीकर, राज. 332001** में स्थित है जो कि **अशोक कुमार शर्मा** के नाम से है जिसका **कुल क्षेत्रफल 13.90 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सीढीयां, पश्चिम दिशा में दुकान नम्बर 5, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में अन्य सम्पत्ति स्थित है।

ii. **द्वितीय बंधक अचल सम्पत्तिः– व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर सी–203 (बिना छत अधिकार), द्वितीय तल, मारू मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 34 (पुराना) 33 (नया), सीकर, तहसील व जिला सीकर, राज. 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 19.26 वर्गगज** है जो कि **अंकित कुमार शर्मा** के नाम से है जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सीढीयां, पश्चिम दिशा में दुकान नम्बर 5, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में अन्य सम्पत्ति स्थित है।

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल 32,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये बत्तीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील श्री सुमित कुमार उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज जरिये प्रो. अशोक कुमार शर्मा, अशोक कुमार शर्मा पुत्र शिव प्रसाद शर्मा** एवं **अंकित कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों **अशोक कुमार शर्मा** एवं **अंकित कुमार शर्मा** के स्वामित्व की अचल सम्पत्तिया जो कि निम्न प्रकार हैः–

i. **प्रथम बंधक अचल सम्पत्तिः– व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 4 (बिना छत अधिकार), प्रथम तल, हनुमान मार्केट, मोहन मार्केट के ऊपर, वार्ड नम्बर 4 (पुराना) 28 (नया), मौहल्ला शेखपुरा, सीकर, राज. 332001** में स्थित है जो कि **अशोक कुमार शर्मा** के नाम से है जिसका **कुल क्षेत्रफल 13.90 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सीढीयां, पश्चिम दिशा में दुकान नम्बर 5, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में अन्य सम्पत्ति स्थित है।

ii. **द्वितीय बंधक अचल सम्पत्तिः– व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर सी–203 (बिना छत अधिकार), द्वितीय तल, मारू मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 34 (पुराना) 33 (नया), सीकर, तहसील व जिला सीकर, राज. 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 19.26 वर्गगज** है जो कि **अंकित कुमार शर्मा** के नाम से है जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सीढीयां, पश्चिम दिशा में दुकान नम्बर 5, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में अन्य सम्पत्ति स्थित है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **26 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर